



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-18042026-271904
CG-TL-E-18042026-271904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1875]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2026/चैत्र 27, 1948

No. 1875]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2026/CHAITRA 27, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1945(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 11 अप्रैल 2025 को प्रकाशित अधिसूचना, संख्या S.O. 1701(E) तथा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को प्रकाशित अधिसूचना, संख्या S.O. 5580(E), "आंध्र प्रदेश राज्य के अनकापल्ली ज़िले में समपारों के स्थान पर सड़क उपरि सेतु का निर्माण" के संबंध में, रेल मंत्रालय एतद् द्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

7A राजपत्र अधिसूचना के लिए शुद्धिपत्र – सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी (CALA) में परिवर्तन।

इस प्रकार प्रकाशित किया गया:

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गुल्लीपाडु – नरसिपट्टनम स्टेशनों के बीच किमी 703/24 – 26 पर समपार फाटक सं.	आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	राजस्व मंडल अधिकारी, नरसिपट्टनम

	463 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण			
--	--	--	--	--

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नर्सिपट्टनम् रोड - रेगुपालेम् के बीच कि.मी. 709/26-28 पर स्थित रेलवे फाटक नंबर 469 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण"	आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	राजस्व मंडल अधिकारी, नर्सिपट्टनम्

इस प्रकार पढा जाए:

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	गुल्लिपाडु - नर्सिपट्टनम् रोड स्टेशनों के बीच किमी 703/24 - 26 पर समपार फाटक सं. 463 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण	आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	राजस्व मंडल अधिकारी, अड्डूरोड जंक्शन
2	नर्सिपट्टनम् रोड - रेगुपालेम् के बीच कि.मी. 709/26-28 पर समपार फाटक सं. 469 पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण			

[फा. सं. RSP/SC/Gazette/7A/BZA-VSKP/BZA/AKP/Corr/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railways)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 13th April, 2026

S.O. 1945(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 11th April 2025 vide S.O. 1701(E) and dated 3rd December 2025 vide S.O. 5580(E) "Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Anakapalli, in the State of Andhra Pradesh" the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Corrigendum to 7A Gazette Notification – Change of Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

Published As:

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Competent authority for Land Acquisition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 463 at Km. 703/24 - 26 in between Gullipadu – Narsipatnam stations	Andhra Pradesh	Anakapalli	Revenue Divisional Officer, Narsipatnam

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Competent authority for Land Acquisition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 469 at Km. 709/26-28 between Narsipatnam Road - Regupalem Stations	Andhra Pradesh	Anakapalli	Revenue Divisional Officer, Narsipatnam

To be read as:

Sl.No	Special Railway Project	State	District	Competent authority for Land Acquisition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 463 at Km. 703/24 - 26 in between Gullipadu – Narsipatnam Road stations	Andhra Pradesh	Anakapalli	Revenue Divisional Officer, Adduroad Junction.
2	Construction of Road Over Bridge in lieu of LC No. 469 at Km. 709/26-28 between Narsipatnam Road - Regupalem Stations			

[F. No. RSP/SC/Gazette/7A/BZA-VSKP/BZA/AKP/Corr/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP